भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 1605

सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन का संशोधन

1605. श्री आनंद भदौरिया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्त विधेयक, 2025 ने केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों के बीच अंतर करने के लिए अधिकृत किया है और क्या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों से पेंशनभोगियों के बीच भी अंतर किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के आधार पर भी पेंशनभोगियों के बीच ऐसा अंतर किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन के संशोधन के लिए कवर किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने नियमित आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख) और (ग):-

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (पूर्ववर्ती सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972) और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023 और उससे जुड़े मामलों के लिए समय-समय पर जारी निर्देशों द्वारा शासित होती है। पेंशन का संशोधन अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी सामान्य आदेशों के माध्यम से किया गया है।

केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करता है। वित्त अधिनियम, 2025 के भाग- IV द्वारा मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली तथा भारत की समेकित निधि से पूरी की जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को विधिमान्य किया गया है और यह मौजूदा सिविल अथवा रक्षा पेंशन में बदलाव या परिवर्तन नहीं करता है।

(घ), (ङ), (च) और (छ):-

सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन को अपने विचारार्थ विषयों (टीओआर) के साथ दिनांक 03.11.2025 के संकल्प के माध्यम से पहले ही अधिसूचित कर दिया है। दिनांक 03.11.2025 के संकल्प के अनुसार, आयोग इसके गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि पर अपनी सिफारिशें करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

******